

दो पहिया वाहन क्रय अनुदान योजना	
INTRODUCTION	निर्माण श्रमिक द्वारा जो लगातार 3 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हैं उन्हें बैंक ऋण के माध्यम से दो पहिया वाहन क्रय किया जाता है तो कुल लागत का 25% अथवा ₹.10000 जो भी कम हो मंडल अनुदान दिया जावेगा। अनुदान पर क्रय किया गया वाहन 3 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा ।
OBJECTIVE	म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये प्रभावशील कल्याण योजनाओं का तत्परता से लाभ दिलाने तथा निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु।
ELIGIBILITY	<ol style="list-style-type: none"> 1. हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक 2. आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/ वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिये। 3. अनुदान पर क्रय किया गया वाहन 3 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा । 4. यह आवश्यक होगा कि उस निर्माण श्रमिक के नाम अन्य दो पहिया वाहन पंजीकृत ना हो।
BENEFIT	निर्माण श्रमिक द्वारा बैंक ऋण के माध्यम से दो पहिया वाहन क्रय का बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय का 25% अथवा राशि ₹.10000 जो भी कम हो, सहायता देय होगी।
PROCESS	<p>उक्त अनुदान सहायता सिर्फ एक बार देय होगी</p> <p>पदाभिहित अधिकारी</p> <p>ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत</p> <p>शहरी क्षेत्र - आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरीय निकाय</p>